

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 1751

दिनांक - 24.07.19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जेठाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी सरका पार तहसील व जिला बाड़मेर।	1 भैराराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर 2 लक्ष्मण पुत्र भोकरराम ईसराम जाति जाट निवासी बेरीवाला तला कुड़ला 3 बख्तावरसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी सरका पार 4 हरजीराम पुत्र मंगलाराम 5 चेतनराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी सरका पार 6 जेठाराम पुत्र जीयाराम जाति भील निवासी सरका पार तहसील व जिला बाड़मेर।	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 219/2019

दिनांक- 19.07.19.

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरका पार पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 940/363 रकबा 31.06 बीघा व खसरा संख्या 941/363 रकबा 26.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1760-63

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. जेठाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी सरका पार तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भैराराम पुत्र अमराराम वगैराह जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

दिनांक- 24.7.19



उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर